

सामाजिक विज्ञान

(नागरिक शास्त्र)

अध्याय-5: लोकतांत्रिक अधिकार



अधिकारों के बिना जीवन:-

अधिकारों के महत्व का अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है जिसके जीवन में अधिकारों का अभाव है। निम्नलिखित तीन उदाहरण बताते हैं कि अधिकारों के अभाव में जीने का क्या अर्थ है।

1. गुआंतानामो बे का जेल:-

- अमेरिकी फ़ौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया।
- इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया।
- अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है।
- अनस के पिता जमिल अल बन्ना उन 600 लोगों में एक हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़ कर जेल में डाल दिया गया।
- अधिकांश मामलों की गिरफ्तारी की सूचना किसी को भी नहीं दी गई।
- परिवार वालो मिडिया संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों तक को इन कैदियों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई।
- न ही ये कैदी किसी अदालत के दरवाजे खटखटा सकते थे।
- एक अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएँ इकट्ठी की और उन कैदियों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया।
- कैदी भूख हड़ताल करके अपनी स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहते तो उन्हें जबरदस्ती नाक मुँह के रास्ते खाना खिलाया जाता।
- निर्दोष करार कैदियों को भी रिहा नहीं किया गया।
- जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देने को कहा तो इसे भी मानने से इंकार कर दिया गया।

2. सऊदी अरब में नागरिक अधिकार:-

- सऊदी अरब की सरकार अपने ही नागरिकों के साथ दोहरा बर्ताव करती है।
- देश में एक वंश का शासन चलता है।
- जनता को इसे चुनने और बदलने में कोई भूमिका नहीं।
- शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं।
- शाह ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
- न्यायालय के निर्णयों को शाह पलट (बदल) सकता है।
- कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल, संगठन का गठन नहीं कर सकता।
- मिडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकता।
- जनता को धार्मिक आजादी नहीं है।
- केवल मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं।
- दूसरे धर्मों के सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है वे अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ अपने घर के अन्दर ही कर सकते हैं।
- सऊदी अरब में औरतों और पुरुषों में वैधानिक रूप से अन्तर किया जाता है।
- सऊदी अरब में महिलाओं पर अनेक सार्वजनिक पाबन्दियाँ लगी हैं। जैसे – मताधिकार, वाहन चलाना।

3. कोसोवो में जातीय नरसंहार:-

- कोसोवो पुराने युगोस्लाविया का एक प्रांत था यहाँ अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी।
- परन्तु पूरे देश में सर्व लोग बहु संख्यक थे।
- उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने कोसोवो में चुनावों में जीत हासिल कर ली।
- मिलोशेविक सरकार का अल्बानियाई लोगो के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया ये चाहते थे कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाए या सर्वो का प्रभुत्व स्वीकार कर ले।
- कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में अल्बानियाई परिवार के साथ घटना घटी।

- 74 वर्षीय बतीशा होम्सा अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही है। सर्बिया की फौज शहर में घुस आई थी और विस्फोट होने लगे।
- तभी दरवाजा खोल कर 5-6 सैनिक दनदनाते हुए अन्दर आ गए पुछा “ बच्चे कहाँ है ”।
- इजेत की छाती में तीन गोलिया दाग दी होम्सा की शादी की अंगुठी उतार फेकी उसके घर को आग लगा दी।
- वह बरसात में बेसहारा बेबस लाचार सड़क पर खड़ी।
- यह सब उसके साथ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ने किया ये नरसंहार देश की सेना ने लोकतान्त्रिक नेता के कहने पर किया।
- जो जातीय पूर्वाग्रह से प्रेरित था।
- आखिरकार कई देशों की दखल से यह काम रुका।
- बाद में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में मिलोशेविक के खिलाफ मानवता विरुद्ध कृत के लिये मुकदमा चलाया।

लोकतंत्र में अधिकार:-

- अधिकार का मतलब ये होना चाहिए कि लोगों की सुरक्षा, उसके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हों।
- कुछ भी गलत होता है या गलत करता है तो दोनों पक्षों की बातों को जाँच-परख करनी चाहिए।

अधिकार:-

अधिकार लोगों के तार्तिक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है।

लोकतन्त्र में अधिकारों (लोकतांत्रिक अधिकार) की क्या जरूरत है?

- इसमें हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है।

- लोकतान्त्रिक चुनाव में लोग अपना विचार को व्यक्त करते हैं, राजनैतिक पार्टी बनाने और इनकी गतिविधियों की आजादी भी है।
- अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है।
- अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसा है।
- सरकार भी कभी कभी तानाशाही करने लगती है। इससे बचाने के लिए संविधान बनाया गया है जिसे सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकती।

भारतीय संविधान में अधिकार:-

- अधिकार कुछ अधिकार जो हमारे जीवन के लिए मौलिक हैं, उन्हें भारतीय संविधान में एक विशेष दर्जा दिया गया है। उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है।
- ये बुनियादी मानवाधिकार हैं, जो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए दिए जाते हैं। ये अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं।
- वे अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुरक्षित करने का वादा करते हैं। इसलिए, वे भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता हैं।

संविधान द्वारा भारत में नागरिकों को मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार:-

- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार

समानता का अधिकार:-

- सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती।
- दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थलों में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता।
- सरकारी में किसी पद पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता।
- किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है।
- कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
- अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता
- अनुच्छेद 15 : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
- अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
- अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद 18 : उपाधियों का अंत

स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रताएं:-

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता।
- देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता।
- देश के किसी भी भाग में रहने – बसने की स्वतंत्रता।
- कोई भी काम करने, धंधा करने या पेशा करने की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 19 : वाक् – स्वतन्त्र्य आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण
- अनुच्छेद 20 : अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण
- अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
- अनुच्छेद 21 क: शिक्षा का अधिकार
- अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार:-

- हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार।
- हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक कामकाज के प्रबंधन की आजादी है।
- अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झाँसा या लालच दे कर उसका धर्म परिवर्तन कराना नहीं है।
- अनुच्छेद 25 : अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने, और प्रचार करने स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 27 : किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में
- अनुच्छेद 28 : कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार:-

- नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार है।
- किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता।
- सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
- अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।

शोषण के खिलाफ अधिकार:-

- संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को मना करता है।

- संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने को मना करता है।
- संविधान बाल मजदूरी को मना करता है।
- अनुच्छेद 23 : मानव के दुर्व्यपार और बलात्क्रम का प्रतिषेध
- अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

संवैधानिक उपचार का अधिकार:-

संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत हम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सूरत में अदालत से इन अधिकारों की माँग कर सकते हैं।

नोट:- डॉ . भीम राव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा।

मानवाधिकार आयोग:-

भारत सरकार ने 1993 में मानवाधिकार आयोग गठित किया। 14 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग हैं।

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा:-

- संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा हम मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
- विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कोई कमी हो तो वह फैसला या काम अवैध हो जाएगा।
- अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वाले को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं।
- भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कारण भारतीय अदालतें मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम है।

दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को प्राप्त नए अधिकार:-

- निजता का अधिकार
- पर्यायवरण का अधिकार
- पर्याप्त आवस पाने का अधिार
- स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और उन तक पहुँच का अधिकार



Fukey Education

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 97,98)

प्रश्न 1 इनमें से कौन-सा मैलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है?

- a) बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना।
- b) इसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना।
- c) सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना।
- d) बच्चों द्वारा मां-बाप की संपत्ति विरासत में पाना।

उत्तर – d) बच्चों द्वारा मां-बाप की संपत्ति विरासत में पाना।

प्रश्न 2 इनमें से कौन-सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है?

- a) सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता।
- b) सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता।
- c) सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता।
- d) संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता।

उत्तर –

b. सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता।

d. संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता।

प्रश्न 3 भारत संविधान इनमें से कौन-सा अधिकार देता है?

- a) काम का अधिकार।
- b) पर्याप्त जीविका का अधिकार।
- c) अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार।
- d) निजता का अधिकार।

उत्तर – c) अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार।

प्रश्न 4 उस मौलिक अधिकार का नाम बताएँ जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएँ आती हैं?

- a) अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता।
- b) जीवन का अधिकार।
- c) छुआछूत की समाप्ति।
- d) बेगार पर प्रतिबंध।

उत्तर –

- a) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
- b) व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
- c) समानता का अधिकार।
- d) शोषण के विरुद्ध अधिकार।

प्रश्न 5 लोकतंत्र और अधिकारों के बीच सम्बन्धों के बारे में इनमें से कौन-सा बयान ज्यादा उचित है? अपनी पसंद के पक्ष में कारण बताएँ?

- a) हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है।
- b) अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला हर देश लोकतांत्रिक है।
- c) अधिकार देना अच्छा है, पर यह लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है।

उत्तर – a) हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है।

यह बयान अधिक वैध और उपयुक्त है। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है। लोकतन्त्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान करने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है। चुनाव लोकतांत्रिक हों, इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, राजनैतिक दल का निर्माण करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। लोकतंत्रीय राज्यों में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। अधिकतर राज्यों में नागरिकों के महत्वपूर्ण अधिकारों को संविधान में शामिल कर दिया जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है और उनकी सुरक्षा के भी उपाय किए गए हैं।

प्रश्न 6 स्वतन्त्रता के अधिकार पर ये पाबन्दियाँ क्या उचित हैं? अपने जवाब के पक्ष में कारण बताएँ।

1. भारतीय नागरिकों की सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है।

उत्तर – स्वतन्त्रता के अधिकार के अन्तर्गत देश के किसी भी भाग में घूमने-फिरने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, किन्तु देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश के कुछ भागों जैसे सेना की छावनी, सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रों में किसी को जाने की अनुमति लेनी पड़ती है। यह प्रति उचित एवं न्यायसंगत है क्योंकि किसी भी देश के लिए उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है।

2. स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को सम्पत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है।

उत्तर – कुछ क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। कुछ जनजातीय क्षेत्रों में तथा जम्मू-कश्मीर एवं हिमाचल आदि राज्यों के बारे में ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया है जिससे वहाँ के लोग अपनी संस्कृति को बनाए रख सकें।

3. शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुँचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबन्ध लगाती है।

उत्तर – ऐसे प्रतिबन्ध को उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का खुला उल्लंघन है।

प्रश्न 7 मनोज एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर के पद के लिए आवेदन देने गया। वहाँ के अधिकारी ने उसका आवेदन लेने से मना कर दिया और कहा, “झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो। तुम्हारी जाति का कोई कभी इस पद पर आया है? नगरपालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो।” इस मामले में मनोज के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? मनोज की तरफ से जिला अधिकारी के नाम लिखे एक पत्र में इसका उल्लेख करो।

उत्तर – मनोज के मामले में समानता के अधिकार तथा स्वतन्त्रता के अधिकार को स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। स्वतन्त्रता के अधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य,

नौकरी अथवा व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अतः निम्न जातियों के लोगों को उनका जातिगत काम करने के लिए मजबूर करना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

प्रश्न 8 जब मधुरिमा संपत्ति के पंजीकरण वाले दफ्तर में गई तो रजिस्ट्रार ने कहा, “आप अपना नाम मधुरिमा बनर्जी, बेटी ए.के. बनर्जी नहीं लिख सकतीं। आप शादीशुदा हैं आपको अपने पति का ही नाम देना होगा। फिर आपके पति का उपनाम तो राव है। इसलिए आपका नाम भी बदलकर मधुरिमा राव हो जाना चाहिए।” मधुरिमा इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा, “अगर शादी के बाद मेरे पति का नाम नहीं बदला तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए? अगर वह अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती?” आपकी राय में इस विवाद में किसका पक्ष सही है? और क्यों?

उत्तर – मधुरिमा सही है। उसके व्यक्तिगत मामलों पर प्रश्न करके तथा उनमें दखल करके रजिस्ट्रार उसके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही, अपने पति का नाम अपनाने का प्रश्न सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है जो महिलाओं को कमतर तथा कमजोर मानता है। मधुरिमा को अपना नाम बदलने के लिए बाध्य करना समानता के अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

प्रश्न 9 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया में हजारों आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य से अपने प्रस्तावित विस्थापन का विरोध करने के लिए जमा हुए। उनका कहना था कि यह विस्थापन उनकी जीविका और उनके विश्वासों पर हमला है। सरकार का दावा है कि इलाके के विकास और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उनका विस्थापन जरूरी है। जंगल पर आधारित जीवन जीने वाले की तरफ से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र, इस मसले पर सरकार द्वारा दिया जा सकने वाला संभावित जवाब और इस मामले पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट तैयार करो।

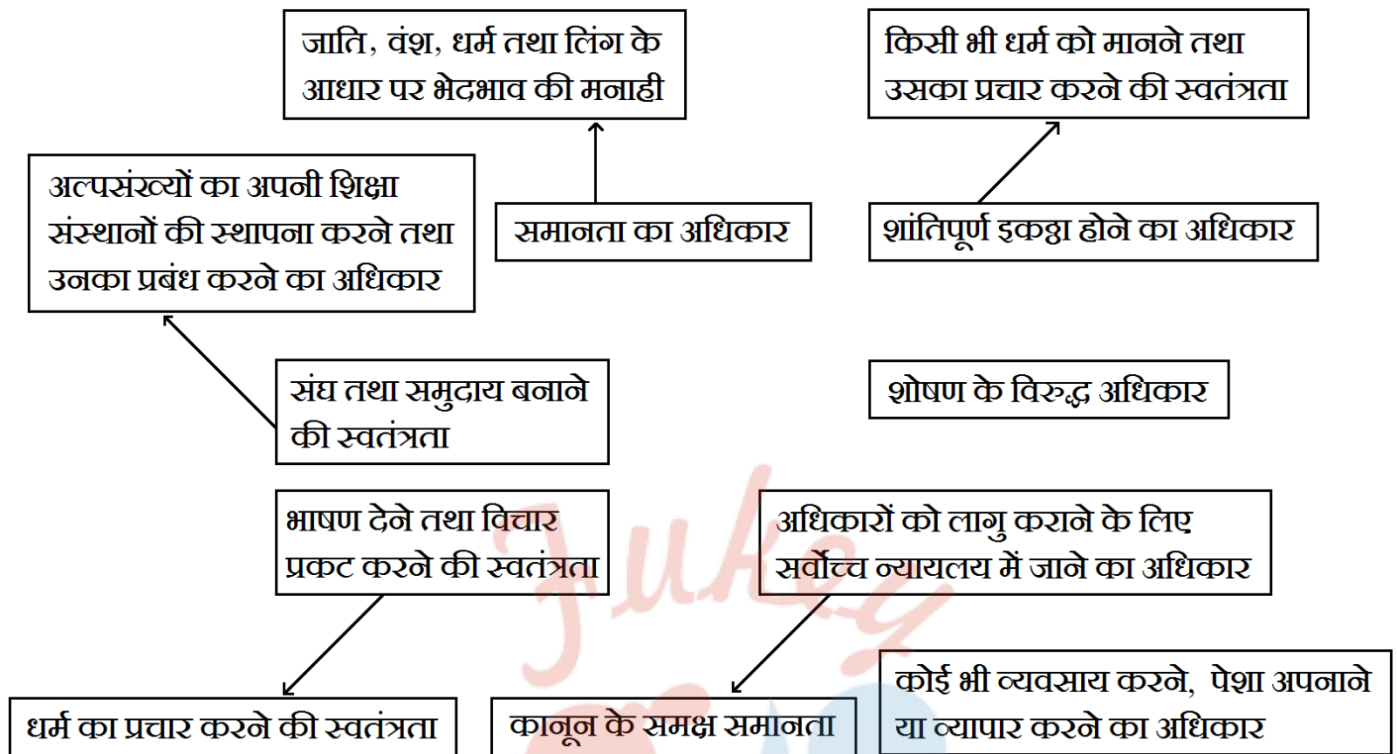
उत्तर – होशंगाबाद (म.प्र.) जिले के पिपरिया में हजारों आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग अपने प्रस्तावित विस्थापन का विरोध करने के लिए एकात्रित हुए थे। पिपरिया के निवासियों के अनुसार सरकार द्वारा ऐसा करना। उनके स्वतंत्रता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है जो उन्हें देश के

किसी भी भाग में बसने का अधिकार देता है। किन्तु सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि सार्वजनिक हित में वह नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है और उसे सीमित कर सकती है। कुछ ही समय पहले दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर बसे कई झुग्गी-झोंपड़ी वालों को वहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि ऐसा करना उस स्थान के विका तथा जानवरों की रक्षा के लिए आवश्यक समझा गया था। उस जंगल में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीय मानवाधिकार को एक पत्र लिखा जिसमें यह कहा गया कि सरकार किसी अन्य स्थान पर उनके पुनर्वास का प्रबन्ध करे। दिल्ली सरकार ने ऐसा किया। सर्वोच्च न्यायालय का हाल ही का एक निर्णय भी इसी बात का समर्थन करता है जिसमें नर्मदा बाँध की ऊँचाई को बढ़ाने के उद्देश्य से जिन लोगों को विस्थापित किया गया था, उनके पुनर्वास के लिए सरकार किसी अन्य स्थल पर प्रबन्ध करेगी।

प्रश्न 10 इस अध्याय में पढ़े विभिन्न अधिकारों को आपस में जोड़ने वाला एक मकड़जाल बनाएँ। जैसे आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार तथा पेशा चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार आपस में एक-दूसरे से जुड़े हैं। इसका एक कारण है कि आने-जाने की स्वतंत्रता के चलते व्यक्ति अपने गाँव या शहर के अन्दर ही नहीं, दूसरे गाँव, दूसरे शहर और दूसरे राज्य तक जाकर काम कर सकता है। इसी प्रकार इस अधिकार को तीर्थाटन से जोड़ा जा सकता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म का अनुसरण करने की आजादी से जुड़ा है। आप इस मकड़जाल को बनाएँ और तीर के निशानों से बताएँ कि कौन-से अधिकार आपस में जुड़े हैं। हर तीर के साथ संबंध बताने वाला एक उदाहरण भी दें।

उत्तर -

Fukey Education



Future's Key

Fukey Education